

प्रेषिका,

प्रियल शर्मा,
सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
औरैया।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
औरैया।

विषय:- अर्द्धशासकीय पत्र सं0-22/2023 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित पत्र के सम्बन्ध में ससम्मान अवगत कराना है कि आपके प्रकीर्ण आदेश सं0-358/2022 के अनुपालन में मेरे द्वारा कार्यालय लिपिक श्री आनन्द प्रताप सिंह एवं प्रस्तुतकार श्रीमती अनुराधा वर्मा को प्रश्नावली तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात प्रश्नावली निर्धारित समय में प्रेषित न किये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा सम्बन्धित कर्मचारीगण का स्पष्टीकरण भी आहूत किया गया। सम्बन्धित कर्मचारी श्री आनन्द सिंह कार्यालय लिपिक एवं श्रीमती अनुराधा वर्मा प्रस्तुतकार द्वारा यह कथन किया गया कि कार्य की अधिकता होने के कारण समय से प्रश्नावली तैयार नहीं की जा सकी, प्रार्थीगण द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहरायी जायेगी तथा प्रार्थीगण इसके लिये क्षमा प्रार्थी हैं। महोदय आप से निवेदन है कि ऐसी स्थिति में कार्य की अधिकता होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारीगण द्वारा माननीय महोदय के आदेश के अनुपालन में प्रश्नावली निर्धारित समय पर तैयार नहीं की जा सकी है। प्रार्थिनी, महोदय द्वारा पारित आदेश का पूर्णतः अनुपालन करने के लिये तैयार व तत्पर है तथा भविष्य में भी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित आदेश का पूर्णतः अनुपालन प्रार्थिनी द्वारा समय से सुनिश्चित किये जाने के लिये प्रतिबद्ध है। प्रार्थिनी प्रश्नावली निर्धारित समय पर प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय औरैया में समय से प्राप्त न कराये जाने के लिये क्षमा प्रार्थिनी है।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

ससम्मान।

दिनांक:-25.01.2023

भवदीया
प्रियल शर्मा
(प्रियल शर्मा)

सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
औरैया।

संलग्नक:-

कार्यालय लिपिक एवं प्रस्तुतकार के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण।

Self Attested
Prityal
30/01/23